

UPDATED STATUS REGARDING CLOSURE OF MADHYA PRADESH ROAD TRANSPORT CORPORATION

On the request of Madhya Pradesh Government "No Objection" of this Ministry for closure of MP State Road Transport Corporation has been conveyed to Principal Secretary (Transport), Government of Madhya Pradesh vide letter dated 11th June, 2014.

As regard payment of liability, Madhya Pradesh Government vide its letter dated 15/12/2011 provided a list of movable & immovable properties of MPRTC and informed that the State Government had formed an inter- departmental -committee on 18/05/2011 under the chairmanship of Principal Secretary, Law & Legal Work Department, Government of Madhya Pradesh to evaluate the movable & immovable properties of MPRTC to utilise the same to pay the dues of various financial & non-financial organisations liable on MPRTC. However the report of the inter-departmental-committee as well as the value of the movable & immovable properties of MPRTC is still awaited to this Ministry. Hence Madhya Pradesh Government was requested vide letter date 23rd July,2014 to provide the status report of the inter-departmental-committee along with the details of the movable & immovable properties of MPRTC and their present value. A communication from the MP Government in this matter is still to be received.

मध्य प्रदेश शासन
परिवहन विभाग,
मंत्रालय.

...

क्रमांक. एक. 22-36/2010/आठ,
श्रुति,

शुक्रवार, दिनांक 15/12/2011

श्री नन्दन सिंह,
उप-तयिब,
भारत सरकार,
तड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
1-संतद मार्ग, नई दिल्ली-110 001.

विषय:- मध्यप्रदेश तड़क परिवहन निगम के परिवहनायन बाबत औद्योगिक
विवाद अधिनियम की धारा 25(ओ) के तहत अनाश्रित बाबत.

संदर्भ:- आषका वत्र क्र. आरटी/17020/2/2005/टी(तीन) दि. 24.10.11.

-:-

उपरोक्त विषयक दि. 23. 9. 2011 को संबुद्ध तयिब(परिवहन)
भारत सरकार, नई दिल्ली की अद्युक्तता में आयोजित बैठक के कार्यवाही
विवरण में उल्लेखित कंडिकाओं के संबंध में संदर्भित वत्र द्वारा चाही गई
जानकारी निम्नानुसार है :-

1. कार्यवाही विवरण की कंडिका क्र. 03 में उल्लेखित म0प्र0तड़क परिवहन
निगम की अचल सम्पत्तियों के निर्वर्तन हेतु म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग के आदेश क्र. एक. 19-42/11/1/चार, दि. 18. 05. 2011 द्वारा
गठित अन्तर्बिभागीय समिति के आदेश की श्रुति तथा टर्मिनल आक रिकॉर्ड
की श्रुति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

2. कार्यवाही विवरण की कंडिका क्र. 4 के अनुसार बस स्टेशन एवं डिपो की
जानकारी परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ; जहां तक निगम की अचल
सम्पत्तियों के विक्रय का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निगम
पर विभिन्न बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं की एक न्यायालयीन निर्णयों
के अधीन करोड़ों स्वयं की देनदारियों लंबित है, अतः उक्त देनदारियों
के निराकरण हेतु उक्त अचल सम्पत्तियों के निर्वर्तन का निर्णय राज्य
शासन द्वारा गठित उक्त अन्तर्बिभागीय समिति के निर्णयाधीन होगा.

3. कार्यवाही विवरण की कंडिका-5 के अनुसार निगम में भारत सरकार का
29. 57 शेयर है, तदनुसार कैपिटल कन्ट्रीड्यूशन की जानकारी परिशिष्ट
"क" पर संलग्न है ।

4. कार्यवाही विवरण की कंडिका क्र. 6 के अनुसार म0प्र0तड़क परिवहन की
सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन तड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्रालय, भारत सरकार की अधितुचना दिनांक 27. 12. 2002 के अनुसार
किया गया(परिशिष्ट "त") उक्त अधितुचना में निहित प्रावधान
अनुसार अचल सम्पत्तियों का विभाजन निगम मुख्यालय के वत्र दिनांक
06. 08. 2003 के अनुसार किया गया(परिशिष्ट "द")

Re. Act - P
2/12
Sd/-
20/11/11

§ 5 § मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाओं के कर्जों का विभाजन निगम मुख्यालय, भोपाल के वत्र दिनांक 04. 10. 2007 के अनुसार किया गया है। बरिशिस्ट "ह" §

2/- उपरोक्तानुसार तंलग्न विवरण के बरिशुद्ध में अनुरोध है कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार म०प्र०तड़क बरिबहन निगम के बरिलप्राशन हेतु औद्योगिक विबसाद अधिनियम की धारा 25 §ओ§ के अन्तर्गत अनाबर्ति जारी करने का कस्ट करें ।

hry
14/11/11

§ मनीष श्रीवास्तव §

तयिब

म०प्र०शासन, बरिबहन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल दिनांक 18 मई, 2011

सं. 5/2011/प्रशा. वि. 1/5 राज्य शासन मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन के संदर्भ में उसकी अचल संपत्तियों के निपटारे के लिये निम्नानुसार अंतर्विभागीय समिति का गठन करता है:-

1	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रबंध निदेशक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम भोपाल	सदस्य-सचिव

2/ उक्त समिति द्वारा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन की प्रक्रिया के तहत निम्नानुसार कार्य संपादित किये जायेंगे:-

1. निगम की अचल-अचल परिसंपत्तियों का उसके स्वामित्व के प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए नवीन मूल्यांकन।
2. निगम की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पश्चात् अधिकतम मूल्य प्राप्ति के उद्देश्य से उसके निर्वर्तन हेतु कार्य योजना तैयार करना।
3. निगम की देनदारियों को श्रेणीबद्ध करना तथा उन्हें चुकाने के लिए प्राथमिकता निर्धारण बाबत अनुशंसाएं करना।
4. अन्य ऐसी कार्यवाही की अनुशंसा जो निगम के परिसमापन के अनुप्राणिक हो अथवा तात्कालिक आवश्यकता से उद्भूत हों।

3/ समिति द्वारा उपर्युक्त सदस्य बिन्दुओं पर 3 माह के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य शासन के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(राजेश कौल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Parivahan Anubhag)

Transport Bhavan,
1, Parliament Street
New Delhi - 110 001

No. RT- 17020/2/2005-T (Vol-IV)

Dated: 23 July, 2014

To

The Secretary (Transport)
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, Ballabh Bhavan
Bhopal-462004


**Subject:- Closure of Madhya Pradesh Road Transport Corporation (MPRTC) -
Regarding**

Sir,

Please refer to your letter no. 22-36/2010/8 dated 15/12/2011 on the subject cited above. You have informed in the letter that the State Government of Madhya Pradesh had formed an inter-departmental committee on 18/05/2011 under the chairmanship of Principal Secretary, Law & Legal Work Department, Government of Madhya Pradesh to evaluate the movable & immovable properties of MPRTC to utilise the same to pay the dues of various financial & non-financial organisations liable on MPRTC. However the report of the inter-departmental committee as well as the value of the movable & immovable properties of MPRTC is still awaited to this Ministry.

You are requested to provide the status report of the inter-departmental committee (if submitted) along with the details of the movable & immovable properties of MPRTC and their present value.

Yours faithfully,



(D.S. Pathania)

Under Secretary to the Government of India

Tele No. 23717319

e-mail: ds.pathania@nic.in

c/c
Issued.

23/7/14.

34
Speed Post
Most Immediate

Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Parivahan Anubhag)

Transport Bhavan,
1, Parliament Street
New Delhi - 110 001

No. RT- 17020/2/2005-T(pt)

Dated: 11th June, 2014

To

Principal Secretary (Transport)
Government of Madhya Pradesh
Mantralaya, Vallabh Bhavan
Bhopal-462004

Subject: **Proposal for closure of MPRTC – Regarding**

Sir,

I am directed to refer to DO No. 48/CMO/14 dated 03/06/2014 addressed by Hon'ble Chief Minister, Government of Madhya Pradesh to Hon'ble Minister (RT&H) on the subject cited above and to convey 'no objection' of Ministry of Road Transport & Highways to the proposal of Government of Madhya Pradesh for closure of Madhya Pradesh Road Transport Corporation(MPRTC) in terms of Section 39(1) of RTC Act, 1950.

Further, the State Government shall ensure and be fully responsible for ensuring compliance of any existing / future orders passed by various Court including Tribunals in any / all matters relating to MPRTC. The State Government is also advised to safeguard the interests of employees of the MPRTC.

Yours faithfully,

D.S. Pathania

(D.S.Pathania)

Under Secretary to the Government of India

Tele No. 23717379

E-mail: ds.pathania@nic.in

18/6/14

3/2